प्रेस नोट-दिनांक 30.07.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

□ अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं गो तस्करों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की कार्रवाई जारी।

□ गोवंशो को क्रूरतापूर्ण तरीके से पिकअप वाहन में लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था।

□ पुलिस की सक्रियता से शातिर गो तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

□ थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा पिकअप वाहन में लादकर ले जाए जा रहे 02 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए गिरोह के 02 शातिर पशु तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान के दौरान चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जा रहे 01 पिकअप में 02 राशि गोवंश के साथ 02 शातिर गोतस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 29.07.2024 को उ0नि0 दिलीप कुमार श्रीवास्तव मय हमराहियान को मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर एक पिकअप में गोवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं। इस सूचना पर उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव मय हमराहियान द्वारा नौबतपुर पुलिस बूथ के पास Nh2 हाइवे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया एक एक गाडियों को धीरे-धीरे रोक कर चेकिंग की जाने लगी। चेकिंग के दौरान गोवंश लदे एक पिकअप वाहन संख्या UP 62 AT 4489 को मौजूदा पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। उपरोक्त वाहन से 02 राशि गोवंश को बरामद किया गया तथा 02 शातिर पशु तस्करो को भी गिरफ्तार कर लिया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 125/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि. पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1.रोमिल यादव पुत्र वीरबहादुर यादव निवासी ग्राम रस्तीपुर थाना बक्शा जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष।

2.सूरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम उत्तरूकला थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष ।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु.अ.सं. 125/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि.

पूछताछ अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मालिक की सहमति से जौनपुर से वाहन गोवंशों को लादकर बिहार के रास्ते प0 बंगाल वध हेतु ले जाते है। गोवंशीय पशुओ से जो धनराशि मिलती है उसे हम लोग आपस मे बांट लेते है।

बरामदगी का विवरणः-

02 राशि गोवंश

एक अदद पीकप वाहन संख्या UP 62 AT 4489

दो अदद मोबाइल फोन जिसमे से एक की-पैड सैमसंग व एक एण्ड्रायड फोन INFINIX काला रंग का है।

400-/ रुपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

उप निरीक्षक- दिलीप श्रीवास्तव थाना सैयदराजा चन्दौली।

हे.का. दिनेश उपाध्याय थाना सैयदराजा चन्दौली।

का0 अनुराग सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

का0 मनीराम दुबे थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

का. जितेन्द्र चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।